न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1057 / 2024

अनवान : –

1. राजबाला पुत्री किशनाराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी 4 सीवाईएम तहसील रावतसर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

2. सुभाष पुत्र किशना जाति नाई निवासी भुकरका तहसील नोहर।
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र किशना जाति नाई निवासी भुकरका तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734 / 736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312 / 3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89 / 71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454 / 3415 हिस्सा भूमि वादीया के पिता मृतक किशनाराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का जन्मजात हक हिस्सा है। रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734 / 736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312 / 3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89 / 71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454 / 3415 हिस्सा भूमि पर वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 ब.हि.ब काबिज है। वादीया जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने की अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो वह ... तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वांद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया की इनका जो भी हक हिस्सा है इन्हें दिया जा रहा है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा भूकरका सम्वत 2070–73 खाता स0 734/736, रोही मौजा 3 बारानी सम्वत 2070–73 खाता स0 89/71, शपथ पत्र बाबत वारिसान, मृत्यु प्रमाण पत्र किशनाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र सावित्री पेश किये जो की शमिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता मृतक किशनाराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, किशनाराम का देहान्त हो चुका है एवं किशनाराम की पत्नी सावित्री का भी देहान्त हो चुका है। किशनाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 है। उक्त वाद भूमि में वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को तर्क अंकित किया गया है क्योंकि इनका जो भी हक हिस्सा है इन्हें दिया जा रहा है। रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734/736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312/3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89/71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454/3415 हिस्सा भूमि पर वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 ब.हि.ब काबिज है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734/736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312/3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89/71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454/3415 हिस्सा भूमि वादीया के पिता मृतक किशनाराम के खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता मृतक किशनाराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, किशनाराम का देहान्त हो चुका है एवं किशनाराम की पत्नी सावित्री का भी देहान्त हो चुका है। किशनाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 है। उक्त वाद भूमि में वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का जन्मजात हक हिस्सा है। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया किया की इनका जो भी हक हिस्सा है इन्हें दिया जा रहा है। रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734/736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312/3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89/71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454/3415 हिस्सा भूमि पर वादीया व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 ब.हि.ब काबिज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मुताबिक किशनाराम व सावित्री का देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक किशनाराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734/736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312/3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89/71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454/3415 हिस्सा भूमि में किशनाराम पुत्र मुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर दर्ज करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 1057/2024

अनवान : –

1. राजबाला पुत्री किशनाराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी 4 सीवाईएम तहसील रावतसर।

– **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

2. सुभाष पुत्र किशना जाति नाई निवासी भुकरका तहसील नोहर।
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र किशना जाति नाई निवासी भुकरका तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1057 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 734/736 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.7780 है0 भूमि में से 1312/3889 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 89/71 के कुल खसरे 21 की कुल 3.4150 है. भूमि में से 1454/3415 हिस्सा भूमि में किशनाराम पुत्र मुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर दर्ज करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested